

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

माध्यमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2016

जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक के विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण

क्र० सं०	कोटि	विषय													कुल
		हिन्दी	अंग्रेजी	संस्कृत	विज्ञान	गणित	सामाजिक विज्ञान	शाारीरिक शिक्षा	उर्दू	संगीत	नृत्य	ललित कला	बंगला		
1	अनुसूचित जाति	16	21	21	25	32	8	1	4	1	1	1	0	0	131
2	अनुसूचित जाति (महिला)	7	7	5	4	5	2	1	1	1	0	0	0	0	32
3	अनुसूचित जन जाति	2	2	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	11
4	अनुसूचित जन जाति (महिला)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	15	15	17	11	14	1	2	4	1	2	1	0	0	83
6	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	8	7	6	4	6	1	0	1	0	0	0	0	0	33
7	पिछड़ा वर्ग	10	10	9	5	8	1	1	4	1	1	0	0	0	50
8	पिछड़ा वर्ग (महिला)	4	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	18
9	पिछड़े वर्ग की महिला	4	4	5	2	6	0	0	1	0	0	0	0	0	22
10	अनारक्षित	25	27	8	0	2	3	4	3	11	5	3	0	0	91
11	अनारक्षित (महिला)	14	15	5	0	2	1	3	2	0	0	0	0	0	42
	कुल	105	113	82	53	79	19	13	20	15	9	5	0	0	513
1	दृष्टि बाधित विकलांग	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	7
2	श्रवण बाधित विकलांग	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	7
3	अश्लेष बाधित विकलांग	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	कुल	3	3	3	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0	18

नोट : 1. कॉमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के ज्ञानक-62 दिनांक 08.01.07 के आलेख में बिकलांग उमीदवारों के लिए तीन प्रतिशत समानान्तर आरक्षण का लाभ देय है।

2. सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2342 दिनांक 15.02.16 के आलेख में सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्गों की महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत पर रिक्ति के अनुरूप महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सीधे सेक्टर विन्डु के अनुसार कोटिवार दिया गया है।

3. सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2524 दिनांक-18.02.16 के आलेख में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नती/नतीनी की नियुक्ति में 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के क्रम में सेक्टर विन्डु 50 तक व्यवहृत हो रहा हो तो एक अग्रणी का चयन तथा सेक्टर विन्डु 100 तक व्यवहृत हो रहा हो तो दो अग्रणियों का चयन (जिस कोटि के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नती/नतीनी होंगे उन्ही कोटि के सेक्टर विन्डु पर क्षैतिज आरक्षण का लाभ देते हुए) किया जायेगा।

4. विभागीय निर्देशानुसार सेक्टर एवं रिक्ति में सशकन समाहित है।

5. संगीत, नृत्य एवं ललित कला विषय में प्रथम समव्यवहार का नियोजन हो गया है। द्वितीय समव्यवहार की प्रक्रियाधीन है अतएव सेक्टर यथावत रखा गया है।

सर्जत अनुमोदित

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।
मा10/शे03/आर0एम0रसर0प0, मुजफ्फरपुर।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।
01.08.16

57

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,
मुजफ्फरपुर।
01/08/16